विषयः— छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त निर्देश ।

—————

दिनांक 18—8—07 को महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ प्रमुख सचिव महोदया की चर्चा के दौरान प्राचार्यो ने महाविद्यालयों में छात्र संघ निर्वाचन के संबंध में अनेक जिज्ञासाएॅ प्रकट की थी इन जिज्ञासाओं को समाविष्ट करते हुए अतिरिक्त निर्देश निम्नानुसार हैं :—

1— ऐसे महाविद्यालय जिनमें पूर्व में नामांकन के व्दारा छात्र संघ पदाधिकारियों का चयन किया जाता रहा है उनके व्दारा सम्पूर्ण महाविद्यालय में सेमेस्टर पद्धत्ति लागू न होने की दशा में इस वर्ष से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप निर्वाचन पद्धत्ति से छात्र संघ का गठन किया जायेगा ।

2— ऐसे महाविद्यालयों, जिनमें वर्तमान सत्र से स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू की गई है, किन्तु स्नातक तक की कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धत्ति लागू नहीं है अथवा स्नातकोत्तर की उत्तरार्ध कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू नहीं है, में छात्रसंघ का गठन निर्वाचन पद्धति से किया जायेगा ।

3— ऐसे महाविद्यालय जिनमें सेमेस्टर पद्धति शतप्रतिशत सभी कक्षाओं के सभी सेक्सनों में लागू हो चुकी है वहां यदि पूर्व में नामांकन पद्धति से छात्र संघ का गठन किया जाता है तो यथावत नामांकन पद्धति से ही छात्रसंघ का गठन किया जायेगा । यदि महाविद्यालय में किसी एक भी पाठ्यक्रम के लिए सेमेस्टर पद्धति लागू नही है तो समस्त कक्षाओं के लिए निर्वाचन पद्धति से छात्र संघ का गठन किया जायेगा ।

4— ऐसे महाविद्यालय जिनमें मात्र विधि स्नातक, एल.एल.एम., बी.एड अथवा एम.एड पाठ्यक्रम संचालित है तथा निर्धारित कक्षाओं की संख्या 02 से कम है उनमें छात्र संघ के पदाधिकारियों के 50 प्रतिशत से कम कक्षा प्रतिनिधि उपलब्ध

होने के कारण छात्र संघ का गठन निर्वाचन पद्धति से नहीं हो सकेगा । स्नातक कक्षाऍं मात्र एक विषय में संचालित करने वाले महाविद्यालयों में भी इसी प्रकार निर्णय लिया जायेगा । यदि कुल कक्षा प्रतिनिधियों की संख्या 02 अथवा 02 से कम है तो छात्र संघ के गठन के लिए निर्वाचन होना संभव नहीं होगा । किन्तु यदि निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की संख्या 03 या अधिक है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन के माध्यम से छात्र संघ का गठन किया जायेगा तथा छात्र संघ के पदाधिकारियों में से प्रथम वर्ष से एक पदाधिकारी एवं उससे ऊपर की कक्षाओं से 02 पदाधिकारी निर्वाचित किये जा सकेंगे । अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु स्नातक कक्षाओं कीं व्दितीय वर्ष से अर्हता प्राप्त हो सकेगी ।

12 से कम सेक्शन वाले महाविद्यालयों में पर्याप्त सेक्शन प्रतिनिधि न होने के कारण छात्र संघ की स्थाई समितियों के सदस्यों का भी चयन सीधे निर्वाचन से छात्रों के व्दारा ही किया जायेगा ।

5— जिन महाविद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है अथवा जो किराये के भवनों में संचालित है उनमें 100 मीटर की परिधि की गणना मतदान केन्द्र के भवन के दरवाजे से की जायेगी और इस परिधि में मतदान की कतार में लगे मतदाताओं के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । केवल निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी अथवा राज्य शासन से अनुमति प्राप्त अधिकारी ही 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे ।

6— ऐसे महाविद्यालयों, जिनमें आधी से अधिक कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय से परिणाम प्राप्त न होने के कारण दिनांक 14 अगस्त 07 की स्थिति में पूर्ण नहीं हो सके हैं, उनमें फिलहाल निर्वाचन का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा, किन्तु यदि आधी से अधिक कक्षाओं में प्रवेश का कार्य 14 अगस्त 07 तक पूर्ण हो चुका है तो निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा ।

7— ऐसे महाविद्यालय, जिनमें शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है के लिये निर्वाचन कार्य हेतु पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था लीड कालेज के प्राचार्यो व्दारा अन्य महाविद्यालयों से की जायेगी । संबंधित शिक्षक दिनांक 24—8—07 तक

निर्वाचन हेतु शासकीय कार्य पर माने जायेगे तथा उनको नियमानुसार टी.ए. , डी.ए. की पात्रता होगी । सम्पूर्ण जिले में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एक जिले से दूसरे जिले में निर्वाचन कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का कार्य सम्पन्न करेंगे। आवयश्यकता होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर से अनुरोध कर अन्य विभागों के स्थाई कर्मचारियों की सेवाऍ छात्र संघ के निर्वाचन कार्य के लिए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के व्दारा प्राप्त की जा सकेगी किन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवाऍ प्राप्त करते समय यह ध्यान रखा जाय कि वे किसी संगठन के पदाधिकारी न हों ।

8– कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लीड कालेज के प्राचार्य जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर प्रत्येक महाविद्यालय में आवश्यक पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे । समस्त प्राचार्य प्रत्याशियों की समय समय पर बैठक लेकर आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी देंगे । छात्र एवं प्रशासन के मध्य निरन्तर संवाद बनाये रखने के लिए प्राचार्य उत्तरदायी होंगे । परिसर में किसी भी प्रकार की कानून अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होने अथवा अपराधिक कृत्यों की लिखित सूचना घटना घटित होने के 06 घण्टे के अन्दर पुलिस, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण /रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं छात्रसंघ चुनाव नियंत्रण कक्ष आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक रुप से करने का दायित्व प्राचार्य का होगा ।

9– जिन महाविद्यालयों में स्वशासी व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है उन महाविद्यालयों में छात्रसंघ का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया जायेगा ।

10– उच्च शिक्षा संचालनालय में छात्र संघ चुनाव के लिए एक कन्ट्रोल रुम का गठन दूरभाष क्रमांक 2778349 पर किया गया है । यह कन्ट्रोल रुम दिनांक 19–8–07 से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा तथा प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक इस दूरभाष पर आवश्यक सूचना दी जा सकती है । निर्वाचन के लिए

प्रत्येक लीड कालेज दोपहर दो बजे एवं शाम सात बजे निर्वाचन की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी नोट करायेंगे ।

11– निर्वाचन के दिन आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं 100 मीटर की परिधि में शासन से अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को फोटो परिचय पत्र देखने पर ही प्रवेश दिया जायेगा । ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी एक समय में 04 या 04 से अधिक नहीं होगी ।

12– जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची जिला जनसंपर्क अधिकारी से प्राप्त कर उन्हें 100 मीटर के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी । किन्तु परिचय पत्र धारी व्यक्तियों को भी 100 मीटर के क्षेत्र में अनावश्यक खड़े होने, संगोष्ठी करने अथवा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

13– संपूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को महाविद्यालय के परिसर में हथियार (लायसेंस शुदा भी) लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

उपरोक्त अवधि में हथियार धारी अंगरक्षकों के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा ।

14– मतदान की गोपनीयता बनाये रखते हुए निर्वाचन कार्य में पर्याप्त पारदर्शिता रखी जाय ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में छात्र समुदाय, मीडिया तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कोई संवादहीनता अथवा संदेह की स्थिति निर्मित न हो । समस्त कर्मचारियों को पक्षपात रहित आचरण करना सुनिश्चित करायें ताकि निर्वाचन शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके ।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
सचिव / आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
भोपाल